झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13E-05-11/2016 – 2600 दिनांक :– 20/09/17

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक 4604 दिनांक 14.09.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में झारखण्ड, सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग, के ज्ञापांक 3105 दिनांक 27.07.2017 द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसके आलोक में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर समर्पित किया गया है। समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पृच्छा संख्या (ग) **क्या यह Site specific project है,** के उत्तर में प्रयोक्ता अभिकरण को Justification for locating the project in forest area देना है।

भारत सरकार के **Guidelines (Handbook of F.C Act 1980)-** में निम्न प्रावधान अंकित है:–

"In these columns, justification for locating the project in the forest area giving details of the alternatives examined and reasons for their rejection has to be furnished"

प्रयोक्ता अभिकरण ने इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराया है। साथ ही विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किए गए निरीक्षण में इस योजना के Site specific होने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, बल्कि मात्र स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

अतएव प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की आठ प्रति मूल रूप में वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में पत्र अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को भेजने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी
20/9
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

20/9

D:\CFH\F.C. Act\Karma Mining Proposal\13E-5-11-2016 (Karma Stone Mines).doc